

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को ओडीएफ ++ का दर्जा मिला

रतलाम 13 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत स्वच्छता हेतु व भन्न स्तरों पर कये जाने वाले सर्वेक्षण के तहत रतलाम नगर ने ओडीएफ ++ का दर्जा प्राप्त करने पर निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों ने एक दुसरे को बधाई प्रेषत की।

रतलाम नगर को ओडीएफ ++ का दर्जा मलने की सूचना निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को मलने पर सभी अ धकारी एवं कर्मचारियों एक दुसरे को बधाई प्रेषत की व मठाई खलाकर मुंह मीठा करवाया।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने इसका श्रेय निगम के अ धकारी एवं कर्मचारियों को देते हुए आवाहन कया क स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत अन्य स्तरों पर भी सर्वेक्षण कये जायेंगे इस हेतु सभी एकजुट होकर कार्य कर रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनायें।

जातव्य है क वगत दिनों स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम द्वारा नगर में खुले में शौच वाले संभावत क्षेत्रोंए सार्वजनिक शौचालय-मुत्रालयोंए सुलभ शौचालयों आदि का सर्वेक्षण कया गया था। सर्वेक्षण उपरान्त रतलाम नगर को ओडीएफ++ का दर्जा प्राप्त हुआ ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 13 जनवरी । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के वभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में निर्देश कया क सी0एम0 हेल्थ लाईन में दर्ज शकायतों का निराकरण करावें जिसके तहत 100 दिवस से अ धक लंबित शकायतोंए एल-1 व एल-2 की शकायतों का निराकरण शीघ्र कराया जावे साथ ही ग्रेडिंग की शकायतों का भी शीघ्र निराकरण कराये जाने के निर्देश संबंधतों को दिये।

इसके अलावा टी.एल. में दर्ज शकायतों व भन्न आयोगए पी.एम.ए सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने के निर्देश के साथ ही निगम आयुक्त श्री झारिया ने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ कये जाने की प्रगति की जानकारी बैठक में ली।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में सांसद एवं वधायक निधी के कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाये साथ ही अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करने व संपत्तिकर नामांतरण की प्रक्रया प्रारंभ करने हेतु की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नालो की पु लया के दोनो ओर जाली लगाये जाने के निर्देश बैठक में संबंधतों को दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैनए प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी0के0 जायसवालए निगम सचव श्री जसवन्त जोशीए प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश वभाग श्री एम0के0 जैनए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए प्रभारी उद्यान वभाग श्री अरवन्द दशोत्तरए लेखा धकारी श्री वजय बालोद्राए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए सहायक राजस्व निरीक्षक श्री हरीश मश्राए श्री सुनील कपूरए सटी मैनेजर श्री कपल मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मन्द्र दोगाया आदि उपस्थित थे।

महारुद्र यज्ञ के समापन पर लया शहर में स्वच्छता का संकल्प  
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत नागरिक जागरूकता  
कार्यक्रमों में ले रहे हैं बढ़चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 13 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मंत्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

बुधवार को शहर के प्राचीन त्रिवेणी तट पर आयोजित महारुद्र यज्ञ के समापन अवसर पर भक्तों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सफाई मंत्र समूह द्वारा तैयार की गई रांगो लियों को भी सराह गया।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मंत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीपदान किया गया है। इस दौरान कोवड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

स्ट्रीट वेन्डरों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रषक्षण प्राप्त किया

रतलाम 13 जनवरी । पी.एम. स्वनिधी के तहत स्ट्रीट वेन्डरों को २२में भी डिजिटल हूँँ' ' अभियान के तहत डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रषक्षण बैंक मैनेजरों द्वारा दिया गया।  
में भी डिजिटल हूँँ' ' अभियान के तहत पी.एम. स्वनिधी योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले 107 स्ट्रीट वेन्डरों को बैंक मैनेजरों द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रषक्षण देते हुए बताया इससे आप रूपयों का लेन-देन कर सकते हैं इसमें समय भी कम लगने के साथ सुवधाजनक होता है।

इस अवसर पर बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बडौदाए श्री अ मत गुप्ता बैंक ऑफ महाराष्ट्रए श्री श्रवण कुमार मीणा पंजाब एण्ड संध बैंकए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी श्री कपील मारोठिया आदि उपस्थित थे।

उद्यानों से निकलने वाले कचरे से बनाई जा रही है जै वक खाद  
खाद निर्माण हेतु 10 उद्यानों में कम्पोस्ट पट निर्माण का कार्य पूर्ण  
10 उद्यानों में कम्पोस्ट पट निर्माण का कार्य प्रगति पर

रतलाम 13 जनवरी । नगर निगम स्वा मत्व के उद्यानों से निकलने वाले कचरे का उ चत रीति से प्रसंस्करण कराने हेतु कचरे से खाद बनाने के लये कम्पोस्ट पट बनाने का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उद्यान वभाग के अमले द्वारा कया जा रहा है ता क कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही निपटान के साथ ही उद्यानों के लये खाद उपलब्ध होकर उद्यान हरे-भरे रहे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पूर्व तैयारियों के तहत नगर निगम के ऐसे उद्यान जिनमें कम्पोस्ट पट नहीं बने है उनमें पट निर्माण का कार्य कया जा रहा है। का लका माता उद्यानए रोटरी गार्डनए अमृत सागर उद्यानए काटजू नगर उद्यानए सवल लाईनए गोपाल गोशालाए शास्त्री नगरए नगर निगम कार्यालय परिसरए गणेश चौक अलकापुरी व टीचस कालोनी में कम्पोस्ट पट का निर्माण कराया जा चुका है तथा गुलाब चक्करए शास्त्रीनगर बाल उद्यानए गांधी उद्यानए जैन कालोनीए मानस भवनए शांति निकेतनए कल्याण नगरए कस्तुरबा नगर व कोमल नगरएरत्नपुरी उद्यान में कम्पोस्ट पट बनाने का कार्य तेजी से कया जा रहा है।

गंदगी व अतिक्रमण करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना  
सीसीटीवी से गंदगी करने वालो पर रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 13 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालयों में कर्मचारियों की इयूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गणपत सोलंकीए गंभीर सायकल सर्वस व पंजाब सायकल सर्वस नाहरपुरा पर 1000.1000ए संजय कोठारी व ऋषभ इन्टरप्राईजेस नाहरपुरा पर 500.500ए हातिमी करानाए सुशील व राजश गांधी मर्ची गली पर 300.300ए सरफराज एहमद अलकापुरी चौराहा पर 250ए राहूल यादव महु रोड बस स्टैण्ड पर 200ए सावनए कशोरए मनीषए बबलू महु रोड बस स्टैण्ड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाडेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व

मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

83 दिनों में 125 वॉल्व व 574 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 13 जनवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 13 जनवरी तक 124 वॉल्व व 570 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 13 जनवरी बुधवार को सर्वोदय नगर सुमंगल गार्डन के बाहर टेलीफोन नगर भण्डारीजी की दुकान के बाहर मुखर्जी नगर महु रोड अण्डर ब्रीज जाटो का वास शैरानीपुरा सोमनाथ मंदिर के पास व पटेल साहब की बावड़ी के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही बीमा अस्पताल के पास जावरा रोड व मोतीनगर चौराहे पर शांति नगर टंकी भरने वाला वॉल्व दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य उपयंत्री श्री सुहास पंडत श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद वचरण करने वाले 544 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 13 जनवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 13 जनवरी तक 544 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 13 जनवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 544 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 13 जनवरी को अलकापुरी से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन कया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर के व भन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 13 जनवरी । सर्द रातों में नागरिकों की सु वधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा बाल च कत्सालयए जिला च कत्सालयए रैन बसेरा स वक सेन्टरए पांजरा पोलए महु रोड बस स्टैण्डए रेलवे स्टेशनए का लका माताए नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के व भन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 13 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम वकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 13 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 13 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत

सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्ताए अखबारए लोहाए कपडाए शालए कांचए पैकंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला इस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/13ण01ण2021धन.पा.निगमए रतलाम.